Legislation concerning Museum

भारतीय पुरासम्पदा (संग्रहालय) अधिनियम

भारतीय पुरासम्पदा अधिनियम
(Antiquarian Laws of India)

किसी भी देश की सांस्कृतिक विरासत उसकी गौरव गाथा एवं सम्पन्नता का माध्यम होती है। भारत विश्व के सभी देशों में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अग्रगण्य है, इस तथ्य का स्पष्टीकरण समय-समय पर हुए यहाँ विदेशी आक्रमणों से पता चलता है जिससे संस्कृतियों के आदान-प्रदान होने के कारण एक नवीन संस्कृति का सृजन भी हुआ। ये सांस्कृतिक विरासत साहित्यिक साक्ष्यों की पुष्टि करते हुए इतिहास को एक नया आयाम प्रदान करते हैं। अतः इनकी सुरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक देश का दायित्व होता है—"Cultural heritage is not only nations trust, but the whole world has the rights to see." ये कला वस्तु ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में मील के पत्थर की भाँति कार्य करते हैं।

भारतीय पुरासम्पदा अधिनियम की आवश्यकता
(Necessary of Antiquarian Laws of India)

उन्नीसवीं शताब्दी ई० में भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी, जिनके शासनकाल में यहाँ अनेक विद्वान एवं पुराविद् आए जिनका कार्य मात्र खोज करना और एक नयी तकनीक पैदा करना था। ये पुराविद् यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर से जैसे-जैसे परिचित होते गए वैसे-वैसे उन्होंने यह महसूस किया कि ये सम्पदा विश्व में लगभग अनुपलब्ध है, इसलिए इनकी सुरक्षा करना अति आवश्यक है। इस तरह से भारत में पुरासम्पदा अधिनियम के जनक ब्रिटिश पुराविदों को कहा गया है। अतः हम भारतीय पुरासम्पदा अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? अधोलिखित बिन्दुओं को मान सकते हैं—

1. सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए—प्रत्येक देश की अपनी कुछ ऐसी धरोहर अथवा विरासत होती है जिसके कारण वह अन्य देशों में जाना जाता है। इसलिए उसे अपने विकास के पदचिह्नों को सुरक्षित एवं चिरस्थायी बनाने के लिए इन अधिनियमों की आवश्यकता पड़ती है।

2. तस्करी की समस्या—ब्रिटिश शासन होने के कारण पुराविदों को यदि कोई अनोखी उपलब्धि होती थी तो यह उसे अपने देश को समर्पित कर देते थे जिसके कारण भारत में तस्करी जैसी ज्वलन्त समस्या से निपटने के लिए अधिनियमों की आवश्यकता महसूस की गयी।

3. पुरावशेषों का विनष्टीकरण—इन अधिनियमों के पहले लोग अज्ञानतावश अथवा अपने लाभत्व के कारण प्राचीन कलाकृतियों का विनाश करने से नहीं चूकते थे। अगर ये अधिनियम न लागू किए गए होते तो भारत अपनी विरासत से हाथ धो लेता।

4. जन सामान्य की अज्ञानता—जब ब्रिटिश पुराविद् यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के महत्त्व को जानने लगे थे तब भारतवासी उनके महत्त्व से अनभिज्ञ थे। ब्रिटिश सरकार भी यह नहीं चाहती थी कि भारतीय नागरिक उसके महत्त्व को जानकर हमारे खिलाफ बगावत करे। कुछ समय के उपरान्त इन्हीं विधि विधानों से (प्रत्येक) कुछ भारतीय नागरिकों को उनके महत्त्व का पता चला जिसके परिणामस्वरूप संवैधानिक कार्यवाही की गयी।

5. पुरावशेषों का प्रयोग विदेशी धरोहर के रूप में—कुछ समय के पश्चात् भारतीयों ने यह देखा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत दूसरे देश की भूमि की शोभा बढ़ा रही है तो उन्होंने उनकी पुनर्प्राप्ति हेतु अधिनियमों का ही सहारा लिया।

6. देश का गौरव कायम रखना—ये धरोहर किसी भी देश की अपनी निधि होने के कारण उस देश को गौरवान्वित कराने में सक्षम होती है। यदि उनका निरन्तर विनष्टीकरण होता रहेगा तो देश की गौरव गाथा को संजोकर रख पाना असंभव होगा।

7. कलाकृतियों को उजागर करना—प्रत्येक कलाकृतियाँ अपने आप में कुछ सन्देश छिपाए रहती है। यदि वे अन्धकार में पड़ी रहेंगी तो वह सन्देश जो उनमें छिपा है हमेशा-हमेशा के लिए विनष्ट हो जायेगा। इन अधिनियमों के माध्यम से वे प्रकाश में आती हैं।

8. संग्रहालय के उद्देश्यों की पूर्ति करना—संग्रहालयों में प्राचीन कलाकृतियों का संग्रह होता है। प्रत्येक संग्रहालय के मुख्य रूप से तीन उद्देश्य होते हैं—(i) सुन्दरता (information), (ii) ज्ञान (Studies), (iii) आनन्दानुभूति (Enter amusement)।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कला वस्तु चाहिए जिसे प्राप्त करने का माध्यम भी अधिनियम होते हैं।

9. पूर्वजों के प्रति सम्मान भाव प्रदर्शन—भारत प्राचीन काल से ही अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान भाव प्रदर्शित करता आया है। पूर्वजों द्वारा छोड़े गए अवशेषों की सुरक्षा करना भी पूर्वजों के प्रति सम्मान भाव प्रदर्शन होता है।

10. ऐतिहासिक तथ्यों का स्पष्टीकरण—आज भी प्राचीन भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे पहलू हैं जो अन्धकारमय और अविश्वसनीय हैं। यदि पुरावशेष नष्ट न हुए होते तो उनको भी प्रकाश में लाया जा सकता था।

11. स्वदेश के गौरवशाली एवं समृद्धिशाली अतीत के प्रति सजगता—सांस्कृतिक धरोहर प्रत्येक देश के लिए गौरवशाली समृद्धि का परिचय कराते हैं, साथ ही अतीत के विकासमय पथ का परिचय करा कर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं जिसके कारण उनके प्रति सजगता का भाव जागृत होता है।

12. भारतीय पुरातत्त्व के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना—भारतीय पुरातत्त्व का प्रारंभ विश्व के देशों की अपेक्षा सबसे पहले हुआ। जब विश्व के लोग खानाबदोशी जीवन-यापन कर रहे थे तब भारत में सभ्यता का श्रीगणेश हो गया था और यहाँ की पहली सभ्यता एवं संस्कृति नगरीय थी। अतः इस सभ्यता के प्रति ये अधिनियम भारतीय नागरिकों के मन में अभिरुचि उत्पन्न करते हैं।

पुरावशेषों से संबंधित भारतीय पुरासम्पदा अधिनियमों का वर्गीकरण
(Classification of Antiquarian Laws of India)

पुरावशेषों से संबंधित अधिनियमों का विवरण निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है—

पुरानिधि निखात अधिनियम (*Treasure Trave Act—1878 A.D.*)—पुरानिधि निखात अधिनियम भारतीय पुरातत्त्व के जनक **'जनरल अलेक्जेन्डर कनिंघम** के सुझाव पर भारत में पहली बार पुरावशेषों से संबंधित अधिनियम 1878 ई० में पारित किया गया। इस अधिनिमय में अधोलिखित व्यवस्थाएँ हैं—

(i) निखात से पुरानिधि प्राप्त होने पर—किसी भी निखात से किसी भी व्यक्ति को 10 रु० से अधिक मूल्य की निधि भूमि से प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह इसकी सूचना तत्काल जिला समाहर्त्ता या जिलाधिकारी को दे और प्राप्त निधि को कोषागार में जमाकर दें और जिलाधिकारी को उचित जमानत दें। यदि कोई भी व्यक्ति निखात मिलने की सूचना जिला समाहर्त्ता को नहीं देता, निधि को कोषागार में नहीं जमा करता, पुरावशेष में हेरा-फेरी करता है और छिपाने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति को एक वर्ष की सजा या जुर्माना अथवा दोनों सजाएँ दी जा सकती हैं।

(ii) भू-स्वामी एवं निखात प्राप्तकर्त्ता के मध्य निखात का बँटवारा—जिसकी भूमि में निखात मिला है उसके मालिक और निखात प्राप्तकर्त्ता के मध्य यदि पहले से कोई समझौता नहीं हुआ है तो निखात का बँटवारा One 3rd या 1 : 3 अथवा 25 और 75 के अनुपात में किया जायेगा। यदि भू-स्वामी अपना दावा पेश करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता है तो प्राप्तकर्त्ता को सम्पूर्ण निखात दिया जा सकता है।

(iii) भारत सरकार को अधिग्रहण का अधिकार—यदि निखात एक सौ वर्ष पुरानी है तो जिलाधिकारी निखात को बाँटने के बजाय भारत सरकार की ओर से उसका अधिग्रहण कर सकता है। अधिग्रहण करने पर पुरावशेष की उचित कीमत निखात प्राप्तकर्त्ता को मुआवजे के रूप में तथा मुआवजे का $^1/_5$ भाग अतिरिक्त अधिक देकर प्राप्तकर्त्ता को सन्तुष्ट करके पुरावशेष को अपने नियंत्रण में कर लेती है या कर सकती है।

पुरानिधि निखात अधिनियम के दोष (*Demerits of Treasure Trove Act*)—यह अधिनियम सर्वप्रथम लोकप्रिय हुआ लेकिन जब लोगों का ध्यान इस अधिनियम की खामियों पर केन्द्रित हुआ तो वे अन्य दूसरे अधिनियम की अपेक्षा करने लगे। इस अधिनियम के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं—

(i) जन सामान्य की अनभिज्ञता—इस अधिनियम का सबसे बड़ा दोष यह था कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार जनसामान्य को इससे दूर रखा गया जिसके कारण अधिनियम लागू होने के कारण भी वस्तुओं का विनष्टीकरण जारी रहा।

(ii) ब्रिटिश शासकों का भारत पर शासन—जिस समय यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत पर लागू किया गया उस समय यहाँ ब्रिटिश शासकों का बोलबाला था। इनके व्यवहार से भारतीय त्रस्त थे। इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व 1857 A.D. में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा गया था जिसके कारण ब्रिटिश शासकों के प्रति भारतीय नागरिकों का आक्रोश जारी रहा।

(iii) सरकारी भय एवं घृणा—भय व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए बाध्य तो कर सकती है लेकिन यह घृणा उत्पन्न करने वाला कारक भी है। यह स्थिति इस अधिनियम के लागू होने के समय भी थी।

(iv) गलत राय के विरूद्ध नियमों का अभाव—व्यक्ति लालची प्रवृत्ति का होने के कारण सदैव गलत राय का शिकार होता रहा है। वह लालच के वशीभूत होकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को छिपा लिया करता अथवा सुनार के सलाह पर गलाकर नष्ट कर दिया करता रहा है।

पुरानिधि निखात अधिनियम का महत्त्व *(Importance of Treasure Trove Act)*—यह अधिनियम भले ही दोषयुक्त है लेकिन इसका तात्कालिक समाज में महत्त्व था। इस अधिनियम का महत्त्व निम्नलिखित कारणों से है—

(i) भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत—इस अधिनियम ने भारतीयों को विरासत की सुरक्षा करने के लिए अधिनियमों के निर्माण में प्रेरणा स्रोत का कार्य किया।

(ii) सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा में सफलता—इस अधिनियम द्वारा भारत में विद्यमान स्मारकों की सुरक्षा एवं पुरास्थलों की खोज एवं संरक्षण प्रदान करने में पर्याप्त सफलता मिली।

(iii) संग्रहालयों को समृद्धिशाली बनाने में सहायक—इस अधिनियम का उस समय प्राप्त मूर्तियों, प्राचीन सिक्कों के ढेर से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संग्रहालयों को समृद्धिशाली बनाने में अतिशय योगदान रहा है।